09.3.2021

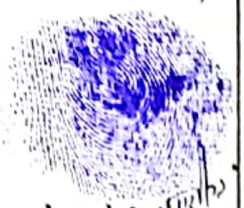

ह० मुख्त्यार सिंह

आज यह पत्रावली अप्रार्थी सं० 1 मुख्त्यार सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र आपसी राजीनामा का पेश करने पर पेश की गई। अप्रार्थी सं० 1 की पहचान प्रीतम सिंह S/o नारायण सिंह चक 1 GB द्वारा की गई। प्रार्थना पत्र पत्रावली के संलग्न हो। पत्रावली दि० 19/3/2021 को पेश हो।

मुख्त्यार सिंह की पहचान की

प्रीतम सिंह
9.3.2021

19.03.2021

पत्रावली पेश। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पूर्व में दिनांक 09.03.2021 को अप्रार्थी सं. 01 की ओर से राजीनामा वास्ते शपथ-पत्र पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तरतीबी पक्षकारान सं. 01 ता 03 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया मनोहरी देवी w/o जगदीश लाल द्वारा एक प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 251-A, राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया। प्रार्थिया द्वारा चक 4 JSB, प. नं. $\frac{120}{368}$ का कि. नं. 25 में चल रहे रास्ता आम से पूर्व की ओर से दक्षिण से उत्तर $16\frac{1}{2}$ फुट चौड़ा कि. नं. 16 की हद तक रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में भू. अ. नि. एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट ली गई, जो शामिल मिसल है। मुताबिक रिपोर्ट भू. अ. नि., प्रार्थिया के खेत के कि. नं. 16 तक पहुंचने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थिया द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है, अतः रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। मुताबिक राजीनामा, अप्रार्थी सं. 01 को कि. नं. 25 में प्रार्थिया को रास्ता देने में कोई एतराज नहीं है, किंतु

हुकम या कार्यावाही मय इतिशिंयल्स जज	नम्बर जो इ
रास्ते में आने वाली कृषि भूमि के बदले में अपनी कृषि भूमि के चिपती प्रार्थिया मनोहरी देवी की इतनी ही कृषि भूमि कि. नं. 16, 17, 18 में प्राप्त करना चाहता है उपरोक्त दस्तावेजों, बहस उभयपक्ष के आधार पर प्रार्थिया का प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 251-A, राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 मुताबिक राजीनामा स्वीकृत किया जाता है। चक 4 JS A, प. नं. 120/368 में स्थित प्रार्थिया के खेत के कि. नं. 16 तक पहुंचने के लिये इसी मुरब्बा के कि. नं. 25 में चल रहे रास्ता आम से पूर्व की ओर से दक्षिण से उत्तर 16½ फुट चौड़ा रास्ता कि. नं. 16 की हद तक स्वीकार किया जाता है। रास्ते के बदले प्रतिकर स्वरूप उभयपक्ष द्वारा निष्पादित राजीनामा के अनुरूप रास्ते के कुल रकबे 16.5 X 148.5 फु के बराबर भूमि प्रार्थिया के खातेदारी भूमि चक 4 JS A, प. नं. 120/368, मु. नं. 71, कि. नं. 16, 17, 18, कुल 0.759 हे. में से कम की जाकर अप्रार्थी सं. 01 के नाम दर्ज की जाए। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Priinka उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर	

Scanned with CamScanner